

राज्य वित्त आयोग

प्रलिमिस के लिये:

राज्य वित्त आयोग, संवैधानिक नियम, अनुच्छेद 243-I, 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992, पंचायती राज संस्थान (PRIs), शहरी स्थानीय नियम (ULBs), 15वाँ वित्त आयोग (2021-26), वित्त आयोग, नगर पारिषद, अनुच्छेद 280, भारत की संचाति नियम, राज्य की संचाति नियम, 16वाँ वित्त आयोग।

मेन्स के लिये:

वित्तीय विकास के लिये राज्य वित्त आयोगों की भूमिका।

सरोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों ने **राज्य वित्त आयोग (SFC)** का गठन किया है।

- 15वें वित्त आयोग ने अपनी रपोर्ट में राज्य वित्त आयोगों के गठन में हो रही देरी पर चिन्हित की।

राज्य वित्त आयोगों (SFCs) के बारे में मुख्य बहुत क्या हैं?

- परिचय: राज्य वित्त आयोग भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 243-I** के तहत राज्यों द्वारा स्थापित **संवैधानिक नियम** हैं।
 - अनुच्छेद 243-I** के अनुसार, राज्यपाल को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अधिनियमित होने के एक वर्ष के अंदर तथा उसके बाद प्रत्येक पाँच वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक होगा।
- अधिदिश: इनकी प्राथमिक भूमिका राज्य सरकार और स्थानीय नियमों यानी **पंचायती राज संस्थाओं (PRIs)** तथा **शहरी स्थानीय नियमों (ULBs)** के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सफिरशि करना है।
- अनुपालन संबंधी मुद्दे: **15वें वित्त आयोग (2021-26)** ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि केवल नौ राज्यों ने अपने छठे SFC को गठित किया है जबकि सभी राज्यों द्वारा इसका वर्ष 2019-20 तक गठन करना था।
 - कई राज्य अभी भी दूसरे या तीसरे SFC तक सीमित हैं, जिससे समय पर इनके नवीनीकरण और अद्यतनीकरण की कमी प्रदर्शित होती है।
- राज्य वित्त आयोग पर 15वें वित्त आयोग की रपोर्ट: 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को राज्य वित्त आयोगों का गठन करने, उनकी सफिरशि को लागू करने और विधानमंडल को एक कार्य रपोर्ट प्रस्तुत करने की सफिरशि की।
 - इसने उन राज्यों की अनुदान सहायता रोकने का सुझाव दिया जो इन आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करते हैं।
- पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका: इसका कार्य वर्ष 2024-25 और 2025-26 हेतु अनुदान जारी करने से पहले राज्य वित्त आयोगों के संदर्भ में राज्यों की संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति को प्रमाणित करना है।

वित्त आयोग

वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र है

-भारतीय संविधान

अनुच्छेद 280 (भारतीय संविधान का भाग XII)

अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का गठन

गठन:

भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के भीतर

एक सिविल कोर्ट की शक्तियाँ

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार

सदस्य:

- अध्यक्ष + 4 सदस्य (एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित) - राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
- योग्यता तय करने का अधिकार-संसद
- कार्यकाल: जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया गया है
- पुनर्नियुक्ति: पुनर्नियुक्त किये जा सकते हैं

वित्त आयोग की सिफारिशें केवल सलाहकारी हैं और सरकार के लिये बाध्यकारी नहीं हैं।

○ पहला वित्त आयोग (1952-57)

- अध्यक्ष- के. सी. नियोगी

○ दूसरा वित्त आयोग (1957-62)

- अध्यक्ष- के. संथानम

○ पंद्रहवाँ वित्त आयोग (2021-2026)

- अध्यक्ष- एन.के. सिंह

○ राज्य वित्त आयोग

- राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष में गठित (अनुच्छेद 243)
- पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा

राष्ट्रपति को FC द्वारा निम्नलिखित सिफारिशों की जाती हैं:

- केंद्र और राज्यों के बीच शुद्ध कर आय का वितरण
- केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता हेतु अनुदान का निर्धारण
- राष्ट्रपति द्वारा इसे भेजे गए अन्य वित्तीय मामले
- राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्द्धन के लिये आवश्यक कदमों की सिफारिश करना।



राज्य वित्त आयोगों (SFCs) का गठन क्यों महत्वपूरण है?

- संवैधानिकी आवश्यकता: अनुच्छेद 243(I) के तहत प्रत्येक पाँच वर्ष में राज्य वित्त आयोगों का नियमिती और समय पर गठन करना एक संवैधानिकी अधिदिश है, जिसका उद्देश्य स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थरिता एवं स्वायत्तता सुनिश्चित करना है।
- राजकोषीय हस्तांतरण: स्थानीय निकायों के बीच धन के उचित आवंटन से स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थरिता सुनिश्चित होती है।
 - इससे केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा राज्यों और स्थानीय निकायों को केंद्रीय निधियों के आवंटन में सहायता मिलती है।
- जवाबदेहता में वृद्धि: वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन करके, संसाधनों के इष्टतम उपयोग का सुझाव देकर तथा राजकोषीय उपायों की सफिराशि करके, राज्य वित्त आयोग स्थानीय निकायों की सेवा वित्तरण में सुधार करने के साथ इन्हें नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रतीक्षित करने के उत्तरदायी बनने हेतु प्रेरणा कर सकते हैं।
- SFC से प्रदर्शन-आधारति मूल्यांकन के लिये तंत्र मिलता है जिससे पुरस्कार और दंड की प्रणाली विकसित होने के साथ स्थानीय स्तर पर बेहतर शासन प्रथाओं को बढ़ावा मिल सकता है।
- स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करना: स्थानीय शासन निकाय स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बुनियादी ढाँचे जैसी सेवाएँ प्रदान करके दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं।
 - SFC की सफिराशि द्वारा समर्थित उचित वित्तपोषण और वित्तीय स्वायत्तता, सेवा की गुणवत्ता में सुधार हेतु महत्वपूर्ण हैं।
- कार्यात्मक एवं वित्तीय अंतराल को कम करना: स्थानीय निकायों को अक्सर वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने में समस्याएँ आती हैं।
- राज्य वित्त आयोग उत्तरदायित्वों के आधार पर वित्तीय हस्तांतरण की सफिराशि करके इस समस्या का समाधान करने के साथ यह सुनिश्चित करते हैं कि स्थानीय सरकारों के पास अपने दायतिवां को पूरा करने के लिये प्रयाप्त संसाधन उपलब्ध हों।
 - राज्य वित्त नियम प्रभावी सफिराशि द्वारा राजकोषीय हस्तांतरण को सुव्यवस्थित करने, वित्तपोषण की पूर्वानुमेयता में सुधार करने तथा वित्तीय अस्थरिता को कम करने में भूमिका निभा सकते हैं।
- राजनीतिकी और प्रशासनिकी विकेंद्रीकरण: राज्य वित्त आयोग की भूमिका वित्तीय अनुशंसाओं से कहीं अधिक विस्तारित है। यह नगरपालिका पारिषदों और पंचायत प्रधानों जैसे स्थानीय निधियों को सशक्त बनाने का कार्य करता है।

वित्त आयोग

- संवैधानिकी आधार: यह भारतीय संवधान के **अनुच्छेद 280** के तहत स्थापित एक संवैधानिकी निकाय है।
 - इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष में या राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझे जाने पर पहले भी की जाती है।
- संरचना: आयोग में एक अध्यक्ष और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त चार अन्य सदस्य होते हैं।
 - अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जैसे सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो।
- कार्य और कर्तव्य: वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य विभिन्न वित्तीय मामलों पर राष्ट्रपति को सफिराशि करना है।
- कर वित्तरण: यह करों की शुद्ध आय के संघ और राज्यों के बीच वित्तरण की सफिराशि करता है इसमें कर आय से राज्यों के बीच शेयरों का आवंटन शामिल है।
- सहायता अनुदान: यह विधियक **भारत की संचति निधि** से राज्यों को सहायता अनुदान देने के संदिधानों का सुझाव देता है।
 - इसमें भारत की संचति निधि से राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले संदिधानों की स्थापना करना शामिल है।
- राज्य निधि में वृद्धि: यह विधियक राज्य के वित्त आयोग की सफिराशि के आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिये **राज्य की समेकति निधि** में वृद्धि के उपायों की सफिराशि करता है।
- अतिरिक्त मामले: वित्त आयोग सुदृढ़ सार्वजनिक वित्त के हति में राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे गए कसी अन्य मामले पर भी विचार कर सकता है।
- स्थानीय शासन के लिये महत्व: वित्त आयोग न केवल संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को नियंत्रित करता है, बल्कि स्थानीय निकायों की राजकोषीय क्षमताओं को मजबूत करने के तरीकों की भी सफिराशि करता है।
 - इससे यह सुनिश्चित होता है कि स्थानीय सरकारों के पास आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने के लिये प्रयाप्त धनराशि हो, जिससे विकेंद्रीकृत शासन और जन-केंद्रित नीतियों में योगदान मिले।
- 16वां वित्त आयोग: **16वां वित्त आयोग** का गठन दिसंबर 2023 में किया गया, जिसके अध्यक्ष **अरवदि पनगढ़िया** होंगे।
- इसमें 1 अप्रैल, 2026 से प्रारंभ होकर 5 वर्ष की पुरस्कार अवधि शामिल है।

राज्य वित्त आयोगों (SFC) की समस्याएँ क्या हैं?

- राजनीतिक इच्छाशक्ति की अभाव: **73वें और 74वें संवधान संशोधनों** के अनुसार, स्थानीय निकायों को पूर्ण रूप से शक्ति और संसाधन हस्तांतरण करने के प्रतीक्षित नियमों में विवादित है।
- संसाधनों की कमी: SFC को अक्सर डेटा एकत्र करते समय शुरुआत से ही काम करना पड़ता है, क्योंकि आसानी से उपलब्ध तथा व्यवस्थित जानकारी की कमी होती है, जिससे उनकी प्रभावशीलता और भी अधिक बाधित होती है।
- विधिज्ञता में कमी: कई राज्य वित्त आयोगों का नेतृत्व नौकरशाहों द्वारा किया जाता है, तथा इनमें डोमेन विशेषज्ञों और सार्वजनिक वित्त पेशवरों का अभाव होता है।
 - योग्य टेक्नोक्रेटों की अनुपस्थिति SFC की सफिराशि की विधिवसनीयता और गुणवत्ता को कम करती है, जिससे उनका प्रभाव कमज़ोर हो जाता है।
- अपारदर्शिता: राज्य अक्सर SFC की सफिराशि के बाद विधियों में कार्रवाई रपोर्ट (Action Taken Reports- ATR) पेश करने में

- वफिल रहते हैं, जिससे पारदर्शता और जवाबदेही कम हो जाती है।
- राज्य वित्त आयोग की सफिरशिंगों की अनदेखी:** राज्य सरकारों द्वारा राज्य वित्त आयोग की सफिरशिंगों का अनुपालन न करने की एक प्रवृत्तिरही है, जो स्थानीय शासन के लिये राजकोषीय नीतियों को आकार देने में राज्य वित्त आयोग की भूमिका को कमज़ोर करती है।
- जन प्रतिरोध:** विशेषज्ञों का कहना है कि शहरी स्थानीय नकायों को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, उनमें राजनीतिक जागरूकता कम है और जनता की भागीदारी भी सीमति है, जिससे राजकोषीय विकेंद्रीकरण की स्थिति और खराब हो जाती है।

आगे की राह

- संवैधानिक समय-सीमा का अनुपालन:** संविधान के अनुसार राज्यों को हर पाँच वर्ष में SFC का गठन करना चाहिये। समय-सीमा का पालन न करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिये, अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये नियमित निगरानी की जानी चाहिये।
- राजनीतिक प्रतिरोध को कम करना:** राज्य सरकारों को स्थानीय सरकारों के लिये वित्तीय स्वायत्तता के लाभों के बारे में पता होना चाहिये, जिससे बेहतर सेवाएँ, नागरिक संतुष्टि तथा जवाबदेह शासन प्राप्त होगा।
- सार्वजनिक वित्त विशेषज्ञ:** राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि आयोगों का नेतृत्व अर्थशास्त्रियों, वित्त विशेषज्ञों और प्रासंगिक पेशेवरों द्वारा किया जाए, न कि केवल नौकरशाहों तथा राजनेताओं द्वारा, ताकि उनकी कार्यकुशलता बढ़ाई जा सके।
- स्थानीय डेटा प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना:** स्थानीय नकायों को सटीक वित्तीय रपोर्टिंग के लिये आधुनिक डेटा प्रणालियों को अपनाना चाहिये, जिससे राज्य वित्त आयोगों को सूचित सफिरशिंग करने में सहायता मिलेगी।
- कार्रवाई रपोर्ट (ATR):** राज्यों को विधानमंडल में कार्रवाई रपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करनी चाहिये, जिसमें बेहतर पारदर्शता और जवाबदेही के लिये SFC की सफिरशिंगों को लागू करने के लिये समयसीमा तथा उपायों की रूपरेखा हो।
- स्वतंत्र नकायों को वित्तीय हस्तांतरण की प्रभावशीलता और SFC सफिरशिंगों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा जा सकता है।**
- प्रोत्साहन ढाँचा:** मंत्रालय को SFC अनुपालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिये पुरस्कार प्रणाली बनानी चाहिये तथा अन्य राज्यों को स्थानीय शासन में सुधार करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिये।

प्रश्न: प्रश्न: प्रश्न: प्रश्न: प्रश्न: प्रश्न: प्रश्न: प्रश्न:

प्रश्न: भारत में स्थानीय शासन को मजबूत करने में राज्य वित्त आयोगों (SFC) की भूमिका पर चर्चा कीजाये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रलिमिस्स

प्रश्न: नमिनलखिति पर विचार कीजाये: (2023)

1. जनांककीय निषिपादन

2. वन और पारस्थितिकी

3. शासन सुधार

4. स्थिरि सरकार

5. कर और राजकोषीय प्रयास

समस्तर कर-अवकरण के लिये पंदरहवें वित्त आयोग ने उपर्युक्त में से कितने को जनसंख्या क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा नकिष के रूप में प्रयुक्त किया?

(a) केवल दो

(b) केवल तीन

(c) केवल चार

(d) सभी पाँच

उत्तर: (b)

प्रश्न: संविधान (तहितरवां संशोधन) अधनियम, 1992, जिसका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, नमिनलखिति में से क्या प्रावधान करता है? (2011)

1. ज़िला योजना समितियों का गठन।
2. राज्य चुनाव आयोग सभी पंचायत चुनाव संचालित करेगा।
3. राज्य वित्त आयोगों की स्थापना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

?????

प्रश्न: भारत के 14वें वित्त आयोग की संतुस्तियों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थितियों सुधारने में कैसे सक्षम किया है? (2021)

प्रश्न: आपके विचार में सहयोग, स्परदधा एवं संघर्ष ने किसी प्रकार से भारत में महासंघ को किसी सीमा तक आकार दिया है? अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिये कुछ हालया उदाहरण उद्धृत कीजिये। (2020)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/state-finance-commission-2>

